2019/00175

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

राजस्व वाद 53,88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 490 / 2019

वादीगण

1. हासमदीन पुत्र लालदीन
2. खान मोहम्मद पुत्र लालदीन
3. अब्दुल अजीज पुत्र लालदीन

जाति मुसलमान
निवासी ननेउ
तहसील फलोदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हाजी खां पुत्र महेन्द्रखां उर्फ मेहरदीन
2. निहालदीन पुत्र महेन्द्रखां उर्फ मेहरदीन
3. समसदीन पुत्र गाजी खां
4. मोहम्मद शरीफ पुत्र गाजी खां
5. अब्दुल करीम पुत्र श्री गाजी खा
6. कमरदीन पुत्र गाजी खां
7. मुसे खां पुत्र गाजी खां
8. मोहम्मद कासम पुत्र गाजी खां
9. यारू खां पुत्र गाजी खां
10. ताजे खां पुत्र गाजी खां
11. रहीमो पत्नि गाजी खां
12. साले मोहम्मद पुत्र लालदीन
13. इलाईबग्स पुत्र लालदीन
14. रहमत खतु पत्नी लालदीन
15. रऊफ पुत्र नूरदीन
16. बरकत पुत्र नूरदीन
17. मजीद पुत्र नूरदीन
18. धीया खातु पुत्री नूरदीन
19. अनीसा पुत्री नूरदीन
20. मदीना पुत्री नूरदीन
21. एमणा पत्नी नूरदीन
22. बशीर पुत्र नूरदीन
23. असम पुत्री नूरदीन

    प्रतिवादी संख्या 22 व 23 नाबालिंग जरिये कुदरती वली माता एमणा पत्नी नूरदीनसभी जातियान मुसलमान सभी निवासीयान ननेऊ तहसील फलोदी
24. गाजी खां पुत्र आमदीन

    जाति मुसलमान
    निवासी जुणेजो की ढाणी लोर्डिया
    तहसील फलोदी
25. सहायक अभियंता जो.वि.वि.नि.लि. बाप

    जिला जोधपुर
26. तहसीलदार फलोदी

राजस्व वाद 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:03:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :-

1. वादी अधिवक्ता श्री राधेश्याम जी चाण्डा उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री प्रवीणसिंह राठौड़ व भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 28.07.2020

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील ग्राम ननेउ पटवार सर्कल ननेउ तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 01 बीघा व खसरा नम्बर 176 रकबा 119 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 120 बीघा 03 बिस्वा भूमि हाजी महेन्द्रखां उर्फ मेहरदीन पुत्र कासु खां जाति मुसलमान के खातेदारी अधिकारों की रही है। हाजी महेन्द्रखां उर्फ मेहरदीन के निधन के पश्चात उक्त भूमि उनके पुत्रगण गाजीखां, लालदीन, निहालदीन व हाजी खां में बहिस्सा बराबर बराबर 1/4 व 1/4 हिस्सा अनुसार निहित हुई। गाजीखां व लालदीन का देहान्त हो चुका है। वर्तमान में उक्त खसरान में लालदीन के वंशाजो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 14 व लालदीन के मृत पुत्र नूरदीन के वंशजो प्रतिवादीगण संख्या 15 से 23 का संयुक्त रूप से 601/2403वां हिस्सा अर्थात 30.01 बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 को 947/2403वां हिस्सा, अर्थात 47.07 बीघा, प्रतिवादी संख्या 2 को 241/2403वां हिस्सा अर्थात 12.01 बीघा, गाजीखां के वंशाजो प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 को संयुक्त रूप से 601/2403वां हिस्सा अर्थात 30.01 बीघा व प्रतिवादी संख्या 24 को 13/2403वां हिस्सा अर्थात 0.13 बिस्वा भूमि बंट आती है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 का अपने अपने हिस्सा आज दिन तक लगातार शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने उक्त खसरान की भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग अलग ढाणीया पानी के टांके पालतु मवेशियों के लिये बाड़े वगैरा बनाये हुवे है। वादीगण अपने परिवर सहित उक्त भूमि में बारह ही मास निवास करते एवं प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग लेते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का मौसम में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग लेते आ रहे है। जिसमें किसी ने किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही की हे। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 के मध्य आज दिन तक विधिवत बंटवाड़ा होया हुआ नही है। मौके पर सभी खातेदार अपने अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। विधिवत बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच की भूमि में प्रत्येक का हक हिस्सा निहित होता है। इसलिये किसी भी खातेदार को उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नही हो जाता है तब तक कोई भी पक्षकार उक्त भूमि में कोई निर्माण कार्य नही करवाता सकता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कही बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टालमटोल करते रहे और अभी दिनांक 22.11.2019 को जब वदीगण ने पुनः प्रतिवादीगण को बंटवाडा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवाड़ा करने का साफ मना कर दिया। इसलिये वादीगण का अब प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रेकर्ड में उक्त [illegible] दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:03:03 IST
Reason: SelfAttested

है। इस वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 03-12-2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी मय पटवारी द्वारा मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे

हमने पत्रावली, दस्तावेजात व बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया व अधिवक्ता की बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03-12-2019 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई इसी अनुसार तहसीलदार फलोदी द्वारा मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर तहसील फलोदी के ग्राम ननेऊ पटवार सर्कल ननेऊ के खेत खसरा संख्या 175 रकबा 01 बीघा व खसरा संख्या 176 रकबा 119 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 120 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा वादी संख्या 1 हासमदीन के बंट में खसरा संख्या 176 रकबा 119.03 बीघा में से 5 बीघा भूमि, वादी संख्या 02 खान मोहम्मद के बंट में खसरा नम्बर 176 रकबा 119.03 बीघा में से 05 बीघा व वादी संख्या 3 अब्दुल अजीज के बंट में खसरा नम्बर 176 रकबा 119.03 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 01 हाजीखां व प्रतिवादी संख्या 24 गाजीखां के बंट में खसरा नम्बर 176 रकबा 119.03 बिस्वा में से 47.1 बीघा, प्रतिवादी संख्या 01 हाजी के बंट में खसरा संख्या 175 रकबा 01 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 03 से 23 के बंट में खसरा संख्या 176 रकबा 119.03 बिस्वा में से 45.01 बीघा, व प्रतिवादी संख्या 02 निहालदीन के बंट में खसरा नम्बर 176 रकबा 119.03 बीघा में से 12.01 बीघा भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलोदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-07-2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

यशपाल आहूजा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलौदी
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 19:03:03 IST
Reason: SelfAttested